Article 62

Time of holding election to fill vacancy / रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय

If the vacancy is created due to death, resignation, removal then:

यदि मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन के कारण रिक्ति उत्पन्न होती है, तो:

- Election must be held within 6 months till then, the vice- president act as president./ चुनाव 6 महीने के भीतर होना चाहिए, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- If vice president is not available, the cji acts as acting president/ यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो, तो मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- It CJI is also unavailable, then senior most judge of supreme court acts as acting president./ यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध न हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- Only acting cji was m. Hidaytullah./ केवल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह थे।

Article 71

- Matters related to election of President and vice – president.
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले।

- All doubts and disputes related to election of President and Vice President shall be inquired and settled by the Supreme Court whose decision is final.
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

Article 72

Pardoning power of President. / राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति।

- The president's pardoning power operates independently of the judiciary.
- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है।

- This power is executive power. / यह शक्ति कार्यपालिका शक्ति है।

- The President does not function as a court of appeal when exercising this power
- इस शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करते हैं।

1.PARDON: It removes both the sentence and conviction and therefore completely absolves the convict from all sentences, punishments and disqualifications.

क्षमा : यह सजा और दोषसिद्धि दोनों को हटा देता है और इस प्रकार अपराधी को सभी सजाओं, दंडों और अयोग्यताओं से पूरी तरह मुक्त कर देता है।

2. COMMUTATION: It connotes the substitution of one form of punishment for a lighter form. E.g. a death sentence could also be commuted to rigorous imprisonment.

दंड रूपांतरण : यह एक प्रकार की सजा के स्थान पर एक हल्की सजा के प्रतिस्थापन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, मृत्युदंड को कठोर कारावास में भी बदला जा सकता है।

3.REMISSION: It denotes reducing the quantum of a sentence without changing its character. E.g., A sentence of two years of rigorous imprisonment may be reduced to one year.

दंड-परिमार्जन : इसका अर्थ है किसी सज़ा की प्रकृति में कोई बदलाव किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए, दो वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा को घटाकर एक वर्ष किया जा सकता है।

4. RESPITE: It implies awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact, such as the physical disability of a convict or the pregnancy of a lady offender.

दंड-रियायत: इसका अर्थ है किसी विशेष कारण, जैसे कि किसी अपराधी की शारीरिक अक्षमता या किसी महिला अपराधी के गर्भवती होने के कारण, मूल रूप से दी गई सज़ा के स्थान पर कम सज़ा देना।

5.REPRIEVE: It denotes a stay of the execution of a sentence (especially that of death) for a temporary period. Its purpose is to allow the convict time to seek pardon or commutation from the President.

दंड-स्थगन / फांसी की सजा पर अस्थायी रोक : इसका अर्थ है किसी सजा (विशेषकर मृत्यु-दंड) के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोकना।इसका उद्देश्य अपराधी को यह अवसर देना होता है कि वह राष्ट्रपति से क्षमा (Pardon) या दंड-रूपांतरण (Commutation) की मांग कर सके।

Judicial Powers of President

The President appoints the Chief Justice and the judges of the Supreme Court and high courts.

राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

Article 143 The President can seek advice from the Supreme Court on any question of law or fact therein.

अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति किसी भी विधि या तथ्य संबंधी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है।

Article 72

He can grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment, or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence in all cases:

वह किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सभी मामलों में क्षमा, विलंब, राहत और दंड में छूट दे सकता है, या उसकी सजा को निलंबित, माफ या लघुकृत कर सकता है:

- Where the punishment or sentence is by a court martial;

  जहाँ सजा या दंडादेश सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो;

- Where the punishment or sentence is for an offence against a Union law;

  जहाँ सजा या दंडादेश संघीय कानून के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो;

- Where the sentence is a sentence of death.

  जहाँ सजा मृत्युदंड की हो।

President's Power to Issue Ordinance
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- Article 123 gives the President the authority to issue ordinances when Parliament is not in session./ अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है।
- These ordinances carry the same legal force and effect as an act of Parliament but are temporary in nature. / इन अध्यादेशों में संसद के अधिनियम के समान ही कानूनी बल और प्रभाव होता है, लेकिन ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं।
- Introduced in 1861 and till 1947 about 400 ordinances were promulgated. / 1861 में लागू किए गए और 1947 तक लगभग 400 अध्यादेश जारी किए गए।

President's Power to Issue Ordinance
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- The President can promulgate an ordinance only when both Lok Sabha and Rajya Sabha are not in session or when either Lok Sabha or Rajya Sabha is not in session. / राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र में न हों या जब लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सत्र में न हो।

- An ordinance can be issued only on those subjects on which the Parliament can make laws/ अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है।

President's Power to Issue Ordinance
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- **Validity** (कितने समय तक लागू रहता है?)
- 👉 Maximum = 6 हफ्ते (6 weeks) after Parliament reassembles

VETO Power of President
राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

- Absolute Veto
- Suspensive Veto
- Pocket Veto

Absolute Veto (पूर्ण वीटो)

- When the President exercises his absolute veto, a bill never sees the day of the light.
- जब राष्ट्रपति अपने पूर्ण वीटो (Absolute Veto) का प्रयोग करते हैं, तो कोई विधेयक कभी कानून का रूप नहीं ले पाता।
- The bill ends even after passed by the Indian Parliament and does not become an act.
- भारतीय संसद द्वारा पारित होने के बाद भी वह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम (Act) नहीं बनता।

Suspensive Veto (निलंबनकारी वीटो)

- If the Parliament resend the bill with or without amendment to the Indian President, he has to approve the bill without using any of his veto powers.
- यदि संसद किसी विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को अपनी किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग किए बिना उस विधेयक को स्वीकृति देनी होती है।

- His suspensive veto can be over-ridden by the repassage of the bill by the Indian Parliament:
- उनका निलंबनकारी वीटो भारतीय संसद द्वारा विधेयक को पुनः पारित करने पर निरस्त (override) किया जा सकता है।
  - With respect to state bills, state legislature has no power to override the suspensive veto of President.
  - राज्य विधेयकों के संबंध में, राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो को निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं होती।
  - Governor can withhold the bill for the President's consideration and even if state legislature resends the bill to governor and governor to President, he still can withhold his assent.
  - राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं, और यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को पुनः राज्यपाल को तथा राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को भेज दें, तब भी राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं।
  - President cannot exercise his suspensive veto in relation to Money Bill.
  - राष्ट्रपति धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में अपना निलंबनकारी वीटो प्रयोग नहीं कर सकते।

Pocket Veto (पॉकेट वीटो)

- The bill is kept pending by the President for an indefinite period when he exercises his pocket veto.
- जब राष्ट्रपति पॉकेट वीटो (Pocket Veto) का प्रयोग करते हैं, तो वे विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित (pending) रख देते हैं।
- Constitution does not give any time-limit to President within which he has to act upon the bill.
- संविधान राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है।
- Unlike the American President who has to resend the bill within 10 days, the Indian President has no such time-rule.
- अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत, जिन्हें 10 दिनों के भीतर विधेयक लौटाना होता है, भारतीय राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई समय-नियम नहीं है।
- The Indian President has exercised this veto power before. In 1986, President Zail Singh exercised this pocket veto.
- भारतीय राष्ट्रपति ने पहले भी इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था।
- President has no veto power when it comes to the constitutional amendment bills.
- संवैधानिक संशोधन विधेयकों (Constitutional Amendment Bills) के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती।